

1 प्ररूप सं. 3 गडजक

[नियम 10फ(13) देखिए]

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा करने के संबंध में धारा 9क के प्रयोजन के लिए किसी लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

*मैंने/हमने (पैन सहित निधि प्रबंधक का नाम और पता) के निधि प्रबंधन कार्यकलाप और अन्य संव्यवहारों या सेवाओं, जिन्हें निधि प्रबंधक द्वारा पात्र विनिधानकर्ता निधि/निधियों को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान प्रदान किया गया है, के संबंध में लेखाओं और अभिलेखों की जांच कर ली है,

1. *मेरी/हमारी राय में निधि प्रबंधक द्वारा निधि प्रबंधन कार्यकलाप और निधि प्रबंधक द्वारा किए गए संव्यवहारों या निधि/निधियों को दी गई सेवाओं की बाबत जहां तक निधि प्रबंधक के अभिलेखों की *मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, यथाविहित उचित सूचना और दस्तावेज रखे गए हैं।
2. धारा 9क के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियाँ इस प्ररूप के उपाबंध में दी गई हैं। *मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध में दी गई विशिष्टियाँ सत्य और सही हैं।

****हस्ताक्षरित**

नाम:

पता:

सदस्यता सं:

स्थान :

तारीख:

टिप्पण:

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें।
2. **इस रिपोर्ट पर धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित लेखापाल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

प्ररूप सं. 3 गडजक के उपाबंध

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के प्रयोजनों के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित निधि प्रबंध कार्यकलाप से संबंधित विशिष्टियां

1. निधि प्रबंधक का नाम
2. पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. निधि प्रबंधक के कारबार या कार्यकलाप की प्रकृति
5. प्रास्थिति

1. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 27.5.2020 से अंतःस्थापित।

6. आवासीय प्रास्थिति
7. भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे
- (क) विनियम, जिसके अधिन रजिस्ट्रीकृत है
- (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्याक और तारीख
- (ग) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी, यदि लागू हो
8. समाप्त हुआ पूर्ववर्ष
9. क्या निधि प्रबंधक और निधि धारा 92ख के अधीन उपबंध के निबंधनानुसार है? हां/नहीं
10. लेखा बहियों के अनुसार पात्र निधि/निधियों से प्राप्त पारिश्रमिक का संकलित मूल्य
11. निम्नलिखित ब्यौरों सहित, उन पात्र विनिधान निधियों की सूची, जिनके लिए निधि प्रबंधक ने निधि प्रबंध कार्यकलाप किए हैं
- (क) अपतट निधि का नाम
- (ख) निधि के आवास का देश
- (ग) क्या निधि प्रबंधक, निधि का कोई कर्मचारी है? हां/नहीं
- (घ) क्या निधि प्रबंधक, निधि से संबंधित व्यक्ति है? हां/नहीं
- (ङ) निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए कार्यकलापों से निधि को पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत लाभ की रकम
- (च) (ङ) में से वह रकम, जिसका निधि प्रबंधक अपने संबंधित व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हकदार है
12. प्रत्येक पात्र विनिधान निधि और किए गए प्रत्येक कार्यकलाप की बाबत प्राप्त पारिश्रमिक की विशिष्टियां (यदि ऐसे कार्यकलाप का पारिश्रमिक पृथकतः दिया गया है):
- (क) निधि का नाम और पता, जिसके लिए निधि प्रबंधन ने कार्यकलाप किया है
- (ख) कार्यकलाप का वर्णन
- (ग) कार्यकलाप की बाबत प्राप्त या प्राप्त कुल रकम-
- (i) लेखा बहियों के अनुसार;
- (ii) इस निमित्त विहित रकम के संबंध में निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित;
13. पात्र विनिधान निधि के साथ/की ओर से निधि प्रबंधक द्वारा किए गए किसी अन्य संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां:
- (क) क्या निधि प्रबंधक ने कोई अन्य संव्यवहार किया है या पात्र विनिधान निधि को या निधि की ओर से कोई हां/नहीं अन्य सेवा दी हैं, किंतु जो पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हो
- (ख) यदि हां, तो प्रत्येक निधि और प्रत्येक संव्यवहार या सेवा की बाबत निम्नलिखित ब्यौरे दें:
- (i) पात्र विनिधान निधि का नाम और पता, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या जिसको सेवा दी गई है
- (ii) संव्यवहार का वर्णन/सेवा की प्रकृति
- (iii) ऐसे संव्यवहार/सेवा के मद्दे संदत्त/प्राप्त या संदेय/प्राप्त रकम
- लेखा बहियों के अनुसार;
 - सन्निकट कीमत को ध्यान में रखकर निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित
- (iv) सन्निकट कीमत के अवधारण के लिए प्रयुक्त पद्धति (धारा 92ग(1) देखिए)

**हस्ताक्षरित.....

स्थान:

नाम:

तारीख:

पता:

टिप्पण: **यह रिपोर्ट धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित की जानी है।